न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 01 / 2024 अपील / राजसमंद (GCMS/2024/1)
पंजीयन दिनांक– 03 / 01 / 2024
निर्णय दिनांक– 26 / 12 / 2025

1. श्रीमती लीला पुत्री नैनालाल नट, निवासी बरार, तहसील भीम, जिला राजसमंद।

..... **अपीलांट**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमंद।

.....**रेस्पोडेंट**

उपस्थिति :–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा : अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक : अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, राजसमंद के प्रकरण संख्या 264 / 1993 एवं 16 / 1993 निर्णय दिनांक 20.02.1995

निर्णय

दिनांकः– 26 / 12 / 2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद के प्रकरण संख्या 264 / 1993 एवं 16 / 1993 निर्णय दिनांक 20.02.1995 के

विरूद्ध दिनांक 26.12.2023 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बरार, तहसील भीम स्थित बिलानाम सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 11685 में 4 बीघा भूमि दिनांक 02.06.1976 से श्री नैनालाल को गैर खातेदारी हक से आवंटन की जाकर नामांतरकरण संख्या 732 से गैर खातेदारी से आवंटी के नाम जमाबंदी में अंकित की गई। आवंटी द्वारा यह भूमि समर्पित कर दिये जाने से नामांतरकरण संख्या 2217 दिनांक 18.06.1990 के द्वारा उक्त भूमि बिलानाम अंकित की गई, तत्पश्चात् उप जिलाधीश, भीम के इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश से नामांतरकरण संख्या 2454 दिनांक 04.01.1993 के द्वारा भूमि पुनः गैर खातेदार आवंटी नैनालाल के नाम अंकित की गई। आवंटी नैनालाल के फौत हो जाने से यह भूमि विरासत से श्री मिश्रीलाल, बाबुलाल पिता नैनानाल एवं मु. ऐजी बेवा नैनालाल के नाम नामांतरकरण संख्या 2530 दिनांक 14.06.1973 के द्वारा गैर खातेदार से अंकित की गई। गैर खातेदार ऐजी, मिश्रीलाल तथा बाबुलाल ने यह भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.1993 के द्वारा श्री ओमप्रकाश पिता हजारी भांड, निवासी बरार को विक्रय की गई। उपरोक्त भूमि दिनांक 18.06.1990 को बिलानाम कर दिये जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा दिनांक 30.05.1992 को श्री सुगनचंद पिता मोहनलाल टांक, निवासी बरार, तहसील भीम, जिला राजसमंद को

आवंटित कर दी गई। उपरोक्त भूमि के संबंध में निरंतर आदेश परिवर्तन होने एवं आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 264/1993 एवं 16/1993 निर्णय दिनांक 20.02.1995 से रेस्पोडेंट तहसीलदार, भीम जिला राजसमंद का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट के पिता श्री नैनालाल को किया गया आवंटन निरस्त किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.02.1995 से निम्नानुसार निर्णय पारित कियाः– *"उपरोक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि आवंटी श्री नैनालाल ने प्रथम दृष्टया आवंटन शर्तो की पालन नहीं की है तथा गैर खातेदारी की हैसियत से विधिमान्य हैसियत नहीं रखते हुए भूमि का विक्रय किया है, ऐसा विक्रय पूर्ण तथा निष्प्रभाव एवं निरर्थक* (Null & Void) *है। वक्त पदेन उप पंजियक एवं तहसीलदार के विरूद्ध गैर खातेदारी की भूमि के विक्रय पत्र को पंजीयन करने के आरोप में प्रथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावें। चूंकि भूमि अनाधिकृत नहीं थी, अतः श्री सुगनचंद को किया गया भू–आवंटन भी विधिवत नहीं माना जा सकता है, यह आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है, उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा दिनांक 17.10.1992 को नैनालाल के पक्ष में इन्द्राज दुरूस्ती के अंकन करने का जो आदेश प्रदान किया गया है, वह भी विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि प्रथमतः आवंटी ने आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की है, दोयम आवंटी फौत हो चुका है, इसके अलावा आवंटी की पत्नि एजी ने उसकी विधिमान्य हैसियत न होते हुए भी भूमि को विधि विपरीत विक्रय किया है। इन सब तथ्यों से यह आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।*

अतः ग्राम बरार स्थिति भूमि खसरा संख्या 11685 क्षेत्रफल 4 बीघा के संबंध में अब तक जारी एवं प्रचलित समस्त आदेश एवं इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश निरस्त किये जाते है, अपील अपीलांट निराधार होने से निरस्त की जाती है। तहसीलदार, भीम को आदेश दिया जाता है, कि वह भूमि का कब्जा प्राप्त कर राजस्व अभिलेख में बिलानाम भूमि अंकित करें। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, भीम को आदेश दिये जाते है, कि वे कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के अंतर्गत विधिवत उद्घोषणा प्रकाशित कर नियमों के अनुसार नये सिरे से किसी भूमिहीन व्यक्ति को इस भूमि का आवंटन करें। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें। पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हों।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 19.12.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट हितबद्ध व्यक्ति होकर मृतक नैनालाल की जायंदा वारिस है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इस कारण से अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.02.1995 की कोई जानकारी नहीं थी। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.12.2023 को उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हो जाने से अपीलांट को अपनी भूमि से कब्जा हटाने हेतु अवगत कराया, तब उक्त निर्णय की जानकारी

अपीलांट को हुई। नैनालाल द्वारा कभी भी भूमि का समर्पण नही किया गया एवं इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, भीम के न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार उचित होने से स्वीकार किया गया है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा इस पर बिना विचार किये निर्णय पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। अपीलांट को बिना सूचना दिये व बिना सुने आदेश पारित किया है, क्योंकि तत्तसमय नैनालाल की मृत्यु हो चकी थी, फिर भी इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण में मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया गया जो एब इनिश्योवोईड है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाया जाता व उसे सुना जाता तो अपीलांट अपना जवाब पेश कर समस्त तथ्यों से अधीनस्थ न्यायायाल को अवगत कराता, अपीलांट को सुने बिना कथित आवंटन को निरस्त किया है। ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। आक्षेपित निर्णय से अपीलांट प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RBJ 2021 Page 395, RRT 2023 Page 458, RRT 2019 Page 268, RRT 2014 (1) Page 643, RRT 2016 (1) Page 19 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवान ने अपनी बहस में बताया कि आवंटी श्री नैनालाल एवं उसके वारिसों ने भू–आवंटन दिनांक 02.06.1976 के बाद भू–आवंटन के शर्तो

की पालना नहीं की है, आवंटी को नियमानुसार भू–आवंटन के बाद दो वर्षो में आवंटित भूमि को जोत लेना चाहिए था, परंतु आवंटी ने दो वर्षो में भूमि पर काश्त नहीं की है, पटवारी हल्का के बयान एवं तहसील की रिपोर्ट से आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने की पुष्टि होती है। अपीलांट के पिता ने गैर खातेदार होते हुए भूमि विक्रय कर दी थी, जिसका अपीलांट के पिता को कोई वैध अधिकार नही था। अतः प्रकरण में अधीनस्थ जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा दिनांक 20.02.1995 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील अपीलांट खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बरार, तहसील भीम स्थित बिलानाम सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 11685 में 4 बीघा भूमि दिनांक 02.06.1976 से श्री नैनालाल को गैर खातेदारी हक से आवंटन की जाकर नामांतरकरण संख्या 732 से गैर खातेदारी से आवंटी के नाम जमाबंदी में अंकित की गई। आवंटी द्वारा यह भूमि समर्पित कर दिये जाने से नामांतरकरण संख्या 2217 दिनांक 18.06.1990 के द्वारा उक्त भूमि बिलानाम अंकित की गई, तत्पश्चात् उप जिलाधीश, भीम के इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश से नामांतरकरण संख्या 2454 दिनांक 04.01.1993 के द्वारा भूमि पुनः गैर खातेदार आवंटी नैनालाल के नाम अंकित की गई। आवंटी नैनालाल के फौत हो जाने से यह भूमि विरासत से श्री मिश्रीलाल, बाबुलाल पिता

नैनानाल एवं मु. ऐजी बेवा नैनालाल के नाम नामांतरकरण संख्या 2530 दिनांक 14.06.1973 के द्वारा गैर खातेदार से अंकित की गई। गैर खातेदार ऐजी, मिश्रीलाल तथा बाबुलाल ने यह भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.06.1993 के द्वारा श्री ओमप्रकाश पिता हजारी भांड, निवासी बरार को विक्रय की गई। उपरोक्त भूमि दिनांक 18.06. 1990 को बिलानाम कर दिये जाने के बाद उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा दिनांक 30.05.1992 को श्री सुगनचंद पिता मोहनलाल टांक, निवासी बरार, तहसील भीम, जिला राजसमंद को आवंटित कर दी गई। उपरोक्त भूमि के संबंध में निरंतर आदेश परिवर्तन होने एवं आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा प्रकरण संख्या 264/1993 एवं 16/1993 निर्णय दिनांक 20.02.1995 से रेस्पोडेंट तहसीलदार, भीम जिला राजसमंद का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट के पिता श्री नैनालाल को किया गया आवंटन निरस्त किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि उक्त अपील में वर्णित आराजीयात से संबंधित एक अन्य प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रकरण संख्या **2851/2004** अनवान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमंद बनाम श्री सुगनचन्द पिता मोहनलाल टांक, निवासी बरार, तहसील भीम, जिला राजसमंद व अन्य विचाराधीन होकर दिनांक 04.03.2026 पेशी दिनांक नियत की गई है।

उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार उक्त अपील निर्णित की जाकर उभयपक्षों का निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रकरण संख्या **2851/2004** अनवान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमंद बनाम श्री सुगनचन्द पिता

मोहनलाल टांक, निवासी बरार, तहसील भीम, जिला रामसंमद व अन्य में उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन प्रकरण में निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही संपादित करेंगे। मिसल शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जावे।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर